



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

दिनांक: 05.06.2026

सं. प्लानिंग/आरटीआई/2026/130

294-296

विषय: आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने से संबंधित।

महोदय/महोदया,

कृपया सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आपके आरटीआई आवेदन (रसीद क्रमांक 70F298110, दिनांक 23.05.2026) का संदर्भ ग्रहण करें, जोकि हमारे कार्यालय में दिनांक 01.06.2026 को प्राप्त हुआ था। अनुरोधित सूचना का उत्तर निम्नानुसार है:

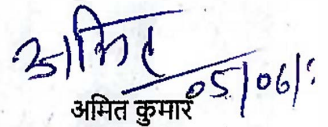
Please refer to your RTI application (Receipt No. 70F298110 dated 23.05.2026) seeking information under the Right to Information Act, 2005, which was received in this office on 23 May 2026. The reply to the information sought is as under:

यह सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी सीपीआईओ आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना का अभिरक्षक (Custodian) नहीं है। साथ ही, सीकर हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) का हवाई अड्डा नहीं है तथा मांगी गई सूचना इस लोक प्राधिकरण (Public Authority) से संबंधित नहीं है। इसलिए वांछित सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। आवेदक आवश्यक सूचना के लिए संबंधित राज्य सरकार अथवा संबंधित प्राधिकरण से सीधे संपर्क कर सकता है। यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त आरटीआई आवेदन संबंधित एएआई सीपीआईओ को भी संबोधित किया गया है।

The undersigned CPIO is not the custodian of the information sought under the RTI Act, 2005. Further, Sikar Airport is a Non-AAI airport and the information sought does not pertain to this public authority. Hence, the information is not available with this office. The applicant may approach the concerned State Government/concerned authority directly for the requisite information. It is also informed that the said RTI application has also been addressed to the concerned AAI CPIO.

हालाँकि, यदि आप सीपीआईओ द्वारा प्रदान किए गए उत्तर/सूचना से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अर्थात् श्रीमती नंदिता भट्ट, कार्यकारी निदेशक (योजना), एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राजीव गांधी भवन, सी-ब्लॉक, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली - 110003 (दूरभाष: 011-20818226) के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

However, if you are not satisfied with the reply/information by the CPIO, you may prefer an appeal before the First Appellate Authority i.e. Smt. Nandita Bhatt, Executive Director (Plg.), Airports Authority of India, Rajiv Gandhi Bhawan, C-Block, Safdarjung Airport, New Delhi - 110003 (01120818226 (Tel) under section 19 (1) of the RTI Act, 2005.


अमित कुमार

महाप्रबंधक (वास्तु) & सीपीआईओ

प्रतिलिपि:

श्रीमति जसमिंदर कौर, महाप्रबंधक (एलएम) & सीपीआईओ

श्री प्रवीण कुमार आसीवाल, संयुक्त महाप्रबंधक (आरटीआई)